वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 13.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज, हिन्दुस्तान, जनसंदेश टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, न्यायाधीश, तरुणमित्र न्यूज़," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 13.07.2024

वीडीए सचिव ने सील करवाया चार मंजिला निर्माण, दी तहरीर

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अवैध निर्माण और बिना ले-आउट पास कराए अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ शुक्रवार को विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की। सिगरा में लबे रोड नक्शे के विपरीत निर्माण करने पर वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने सील करवा दिया। साथ ही भवन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए सिगरा थाने में तहरीर दी गई है। दशाश्वमेध में पुराने मकान को तोड़कर अवैध तरीके से बने तीन मंजिल को भी सील करवा दिया। जोनल अधिकारी, अवर अभियंता और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से जवाब-तलब किया है। अवैध निर्माण बंद नहीं होने पर कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।

वीडीए सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा गुरुवार को गोदौलिया से लौट रहे थे। उस दौरान चार मंजिला निर्माण दिखाई पड़ा तो जोनल अधिकारी समेत पूरी टीम को बुला लिया। जांच में बेसमेंट के अलावा तीन मंजिल नक्शा पास था लेकिन भवन स्वामी संजय वाही ने सेटबैक नहीं छोड़ा था। साथ में उसने एक मंजिल और निर्माण कर लिया था। सचिव ने मौके पर भवन को सील कराने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया। दशाश्वमेध में पप्पू जायसवाल पुराने मकान को तोड़कर बना रहे थे जिसका नक्शा पास नहीं था जिसे सील कर दिया गया। सचिव ने बताया कि अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलेगा।

सिगरा में निर्माणाधीन भवन को सील करवाते वीडीए सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा समेत टीम। जागरण

अमर उजाला–दि0 13.07.2024

84 फ्लैट के मानचित्र 96 घंटे में पास

वाराणसी। बीएचयू से नरिया सुसुवाही मार्ग पर वीडीए ने अल्प आय वर्ग के लिए 84 फ्लैट की अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम 96 घंटे में स्वीकृत की। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार शासन की ओर से सस्ते फ्लैट बनाने के लिए कई तरह की रियायत दी जा रही है।

बताया कि तमाम रियायतों के साथ किफायती फ्लैट का निर्माण करने के लिए विकासकर्ता अब तेजी से इच्छुक हो रहे है। इस नई नीति से अब 12 मीटर चौड़ी सड़क पर ही बिल्डर न्यूनतम दो हजार वर्गमीटर के भूखंड पर ही फ्लैट बना सकेंगे। कम जमीन पर ज्यादा फ्लैट बन सकें इसके लिए एफएआर (फ्लोर एरिया रेसियो) भी सड़क की चौड़ाई व क्षेत्र के अनुसार 2.50 तक रहेगा। डेन्सिटी (घनत्व) भी बढ़ाकर 800 फ्लैट प्रति हेक्टेयर तक की गई है। जनसंख्या घनत्व से मुक्त किए जाने से बिल्डर को बेसिक विकास शुल्क ही देना होगा। विकासकर्ता माधुरी सिंह व अन्य की ओर से 2830 वर्ग मीटर भूमि पर मानचित्र ऑनलाइन जमा किया था। ब्यूरो

13.5 बीघे की प्लॉटिंग ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अगुवाई में शुक्रवार को 13.5 बीघे की चार अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त करवाई गई। दो अवैध निर्माण भी सील कराए गए। ब्यूरो

आज–दि0 13.07.2024

पांच बीघा जमीन पर चली जेसीबी

बिना मानचित्र के कार्य करने पर भवन स्वामी पर दर्ज हुई प्राथमिकी

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर शुक्रवार को सारनाथ के चौबेपुर में स्थित संकरपुर-गौरा कला में बिना मानचित्र के तीन बीघा जमीन पर प्लाटिंग की जा रही थी। शिकायत के आधार पर जोनल अधिकारी वहां पहुंचे और आसपास लोगों से पूछने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि कास्टकार सुरेंद्र पटेल ने लगभग तीन बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग करायी है। शिकायत के पुष्टि के बाद जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता जेपी गुप्त, प्रवर्तन सुपरवाइजर और स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर प्लाटिंग हो रहे निर्माण को ध्वस्त कर दिया और वहां वीडीए का बोर्ड लगा दिया। इसी प्रकार शिवपुर-मौजा तरना में ३५००२६ वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर प्लाटिंग की जा रही थी जबकि यह जमीन सिलिंग पर है। शिकायत की पुष्टि होने पर जोनल अधिकारी गौरव जय प्रकाश, सहायक अभियंता अंबरीस कुमार शर्मा सहित प्रवर्तन दल, स्थानीय पुलिस और सुपरवाइजर ने जमीन पर हुये निर्माण कार्य को जेसीबी के मदद से ध्वस्त करा दिया और कास्टकार को चेतावनी दी। मुगलसराय मौजा-करवट जिला चंदौली के अंतर्गत एक कास्टकार ने पांच बीघा क्षेत्रफल पर प्लाटिंग विकसित कर रहा था। शिकायत के आधार पर मौके पर पहुंचे अवर अभियंता ने शिकायत की पुष्टि की जिसके बाद जोनल अधिकारी श्रीप्रकाश कुमार, अवर अभियंता विजय सिंह, पीएन दूबे, प्रवर्तन दल, सुपरवाइजर, संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से प्लाटिंग पर हुये निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया और वहां पर विभाग का बोर्ड भी लगा दिया। दशाश्वमेध के अंतर्गत पप्पू जायसवाल ने पुराने भवन को तोड़कर नवनिर्माण करा रहा था। शिकातय के बाद उन्हें नोटिस दी गयी है। नोटिस का जवाब देने की जगह भवन स्वामी निर्माण कार्य जारी रखा और उसे न मानचित्र दाखिल किया न ही समन मानचित्र के लिए विभाग में प्रार्थना पत्र दिया। मौके पर पहुंचे विप्रा के सचिव डाक्टर वेद प्रकाश मिश्र और जोनल अधिकारी सौरभ देव, अवर अभियंता अशोक कुमार त्यागी, संबंधित थाने की पुलिस के सहयोग से प्रवर्तन दल ने भवन को सिल कर दिया। इसी तरह सिगरा के पास संजय वाही ने बी प्लस टू का नक्शा पास कराकर चौथे फ्लोर का निर्माण करा रहा था। मौके पर पहुंचे विप्रा के अभियंताओं ने भवन स्वामी से मानचित्र मांगा जिसे उसने उस मानचित्र को देखाया जो कि दो तल्ले भवन की स्वीकृति दी गयी थी लेकिन दो तल्ले की स्वीकृति लेने के भवन स्वामी ने चौथे मंजिल तक निर्माण कराया। मौके पर भवन को सील कर दिया गया और भवन स्वामी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायी गयी।

हिन्दुस्तान–दि0 13.07.2024

सिगरा, दशाश्वमेध में दो भवन सील हुए

वाराणसी। वीडीए ने शुक्रवार को दो अवैध निर्माण सील किए, 11 बीघे में हो रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की। प्लॉटिंग सारनाथ, चौबेपुर, शंकरपुर, गौराकलां, करवत (मुगलसराय) और तरना क्षेत्र में चल रही थी। वीडीए सचिव डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा ने दशाश्वमेध में पुराने भवन को तोड़कर बन रहे भवन को सील किया। सिगरा में तीन मंजिला भवन का बिना नक्शा निर्माण कराने पर मकान मालिक के खिलाफ तहरीर दी।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 13.07.2024

वीडीए ने 96 घंटे में किया 84 फ्लैटों का नक्शा पास

वाराणसी। वीडीए ने 96 घटे मे 84 प्लैटों की अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत किफायती प्लैटो के निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृति किया । ज्ञातत्व हो कि शासन द्वारा फ्लैट सस्ते रहें इसके लिए भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के साथ ही विकासकर्ताओं को कई तरह की रियायतें प्रदान करने के संबंध में उत्तर प्रदेश में अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के नए मानकों का शासनादेश जारी किया गया है। तमाम रियायतों के साथ अफोर्डेबल हाउसिंग के नए सिरे से तय किए गए मानकों का शासनादेश जारी होने पर किफायती फ्लैट का निर्माण करने के लिए विकासकर्ता अब तेजी से इच्छुक हो रहे है। नयी नीति के अंतर्गत अब 12 मीटर चौड़ी सड़क पर ही बिल्डर न्यूनतम दो । इसके लिए एफएआर (फ्लोर एरिया रेसियो) भी सड़क की चौड़ाई व क्षेत्र के अनुसार 2.50 तक रहेगा। डेन्सिटी (घनत्व) भी बढ़ाकर 800 फ्लैट प्रति हेक्टेयर तक की गई है। जनसंख्या घनत्व से मुक्त किए जाने से बिल्डर को बेसिक विकास शुल्क ही देना होगा। इसको लेकर शुक्रवार को विकासकर्ता सुश्री माधुरी सिंह व अन्य द्वारा वीडीए में अल्प आय वर्ग हेतु 2830 वर्ग मीटर नेट क्षेत्रफल भूमि पर प्रस्तावित अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम का मानचित्र आनलाइन जमा किया था। जिसे विभाग ने मानचित्र अनुभाग द्वारा उक्त बेसमेंट, स्टिल्ट एवं 07 तलों के 84 यूनिट के (अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग फ्लैट) के मानचित्र को मात्र 96 घंटे से कम समयावधि में जहां पास कर दिया गया ,वही अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम होने के कारण परियोजना में विकासकर्ता को अनुमन्य समस्त रियायतों का लाभ प्रदान किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत बेसमेंट एवं स्टिल्ट पर पार्किंग एवं प्रथम से सप्तम तल प्रत्येक तल पर 12 फ्लैट कुल 84 अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग फ्लैट की अवधारणा की गयी है। इसके अतिरिक्त परियोजना में कुल 84 कार पार्किंग एवं आवश्यकतानुसार दो पहिया वाहनो की नियमानुसार पर्याप्त पार्किंग प्रस्तावित है। परियोजना में स्टिल्ट तल पर कम्यूनिटी सेंटर और वाशरूम, लिफ्ट,सीढ़ी देने का प्रावधान किया गया है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

जनसंदेश टाइम्स–दि0 13.07.2024

तीन अवैध निर्माण कराए ध्वस्त

चला बुलडोजर

शिवपुर, मुगलसराय और सारनाथ में निर्माणकर्त्ता पर वीडीए की सख्त कारवाई

वाराणसी। बुलडोजर ने तीन जगहो पर अवैध निर्माण को जहां ध्वस्त की,वहीं वीडीए की टीम ने निर्माणकर्ता के विरुद्ध सख्त कारवाई भी किया इसको लेकर विभाग की टीम अचानक शिवपुर वार्ड में पहुंचा। जहां वार्ड के तरना क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अज्ञात लोगों द्वारा लगभग 3526 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर सीलिंग की जमीन पर अवैध प्लाटिंग किये जाने को देखा। वहां पास के ही लगभग ढाई बीघे में अज्ञात के द्वारा अवैध प्लाटिंग भी विकसित किये जाने को रोकवाया,वहीं अवैध प्लाटिंग के बाउंड्रीवाल को बुलडोजर ने ध्वस्त किया। इस अवसर पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, सहायक अभियंता अम्बरीश कुमार शर्मा आदि लोग शामिल रहे। इसी क्रम में वीडीए की टीम अचानक मुगलसराय में पहुंचा । जहां वार्ड के करवत में बिना नक्शा स्वीकृति कराये अज्ञात द्वारा पांच बीघाक्षेत्रफल पर अवैध हो रहे प्लाटिंग पर पर सख्त एक्शन लेते हुए ध्वस्तीकरण की कारवाई की। अवैध निर्माण को लेकर टीम सारनाथ वार्ड में भी पहुंचा। जहां गौराकला में मानचित्र स्वीकृति नही कराकर तीन बीघा में अवैध प्लाटिंग कराई जा रही थी। वीडीए के अधिकारियों ने जहां इस पर रोक लगाई ,वहीं इस अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कारवाई भी की। इस अवसर पर मुगलसराय के अभियान में जोनल अधिकारी श्रीप्रकाश, अवर अभियंता विजय सिंह , पीएन दूबे,शामिल रहे जबकि सारनाथ वार्ड के अभियान में जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंताजे.पी. गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 13.07.2024

वीडीए ने 84 फ्लैटों की अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम का नक्शा किया पास

अल्प आय वाले भी ले सकेंगे अब फ्लैट

वाराणसी (एसएनबी)। बीएचयू से नरिया सुसुवाही रोड पर प्राधिकरण ने 96 घंटे से कम समय में अल्प आय वर्ग के लिए 84 फ्लैटों की अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम का नक्शा पास किया। मौजा- सुसवाहीं, परगना- देहात अमानत, वाराणसी बीएचयू नरिया सुसुवाहीं मुख्य मार्ग पर आदित्य पब्लिक स्कूल के पास वाराणसी विकास प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग के लिए नक्शा पास किया है।

शासन द्वारा फ्लैट सस्ते रहें इसके लिए भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के साथ ही विकासकर्ताओं को कई तरह की रियायतें प्रदान करने के संबंध में उत्तर प्रदेश में अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के नए मानकों का शासनादेश जारी किया गया है। नयी नीति के अंतर्गत अब 12 मीटर चौड़ी सड़क पर ही बिल्डर न्यूनतम दो हजार वर्गमीटर के भूखंड पर ही फ्लैट बना सकेंगे। जनसंख्या घनत्व से मुक्त किए जाने से बिल्डर को वेश्मिक विकास शुल्क ही देना होगा।

परियोजना के अंतर्गत बेसमेंट एवं स्टिल्ट पर पार्किंग एवं प्रथम से सप्तम तल प्रत्येक तल पर 12 फ्लैट कुल 84 अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग फ्लैट की अवधारणा की गयी है। इसके अतिरिक्त परियोजना में कुल 84 कार पार्किंग एवं आवश्यकतानुसार दो पहिया वाहनों की नियमानुसार पर्याप्त पार्किंग प्रस्तावित है। परियोजना में कम्यूनिटी सेंटर तथा अन्य सुविधाएं यथा वाशरूम, लिफ्ट, सीढ़ी इत्यादि का प्रावधान किया गया है। परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध फ्लैट का फ्लोर एरिया 49 वर्गमीटर से 60 वर्गमीटर का है।

वीडीए ने कई बीघा जमीन पर चलाया बुलडोजर

वाराणसी। वीडीए की प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। सारनाथ चौबेपुर, शंकरपुर गौरा कला के अंतर्गत बिना नक्शा पास कराये सुरेंद्र पटेल ने लगभग 3 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग पर प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

इसी प्रकार मुगलसराय मौजा करवत, जिला- चंदौली के अंतर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग पांच बीघा पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार दशाश्वमेध के अंतर्गत पप्पू जायसवाल द्वारा पुराने भवन को तोड़ फोड़ कर जी+2 तलों का नवनिर्माण कार्य किये जाने पर पक्ष को नोटिस दी गई थी, इसके बावजूद पक्ष द्वारा उक्त अवैध निर्माण गतिमान रखने की शिकायत पर निर्माण को सील किया गया तथा संजय साही द्वारा सिगरा पर का नक्शा पास कराया गया था पर जिसके विपरीत फ्लोर का निर्माण कार्य कराए जाने पर निर्माण को सील किया गया तथा एफआईआर के लिए तहरीर दी गयी।

दशाश्वमेध वार्ड में नव निर्माण को किया सील

वहीं वार्ड-शिवपुर मौजा-तरना के अंतर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराये सीलिंग की जमीन पर अवैध प्लाटिंग तथा पास के लगभग ढाई बीघे में अज्ञात द्वारा अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग के बाउंड्री वाल को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।

न्यायाधीश–दि0 13.07.2024

वाविप्रा द्वारा की गई अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड-शिवपुर थाना- शिवपुर , मौजा - तरना के अन्तर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अज्ञात द्वारा लगभग 3526 वर्ग मीटर छेत्रफल पर सीलिंग की जमीन पर अवैध प्लाटिंग तथा पास के लगभग ढाई बीघे में अज्ञात द्वारा अवैध प्लोटिंग विकसित की जा रही थी।उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग के बाउंड्री वाल को 12 जुलाई 2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया ।मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, सहायक अभियंता अम्बरीश कुमार शर्मा व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एव पुलिस बल उपस्थित रहे ।इसी क्रम में जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा वार्ड-सारनाथ थाना-चौबेपुर, संकरपुर गौरा कलन के अन्तर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराये सुरेन्द्र पटेल द्वारा लगभग 3 बीघा छेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी ।उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग पर 12 जुलाई 2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी ।इस दौरान जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता जे0 पी0 गुप्ता व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे ।इसी क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा वार्ड-मुगलसराय, थाना-मुगलसराय मौजा करवत, जिला-चन्दौली के अन्तर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अज्ञात द्वारा लगभग 05 बीघा छेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी ।उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को 12 जुलाई 2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया ।इस मौके पर जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता विजय सिंह व पी0एन0 दूबे एव प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 13.07.2024

वाविप्रा ने सील किया अवैध निर्माण

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इस क्रम में वार्ड-दशाश्वमेध के अन्तर्गत पप्पू जायसवाल द्वारा लगभग लगभग 30* 45' वर्गफीट के माप में पुराने भवन को तोड़ फोड़ कर जी+2 तलों का नवनिर्माण कार्य किये जाने पर पक्ष को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27, 28 (1) एवं 28 (2) के अन्तर्गत दिनांक को क्रमशः कारण बताओं की नोटिस दी गई थी, इसके बावजूद पक्ष द्वारा उक्त अवैध निर्माण गतिमान रखने की शिकायत प्राप्त होने पर, जो धारा-27 का खुला उल्लंघन है। अतः उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28 (क) की उपधारा-1 के अन्तर्गत अवैध निर्माण को आज दिनांक 12 जुलाई 2024 को सील किया गया तथा संजय वाही द्वारा सिगरा पर बी+जी+2 का नक्शा पास कराया गया था पर जिसके विपरीत 4th फ्लोर का निर्माण कार्य कराए जाने पर निर्माण को सील किया गया तथा एफ0आई0आर0 हेतु तहरीर दी गयी।।मौके पर सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा,जोनल अधिकारी श्री सौरव देव प्रजापति अवर अभियंता श्री अशोक कुमार त्यागी मौजूद रहे।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 13.07.2024

वीडीए सचिव ने निरीक्षण के दौरान अवैध निर्माण को कराया सील, एफआईआर के दिए निर्देश

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वीसी पुलकित गर्ग के निर्देश पर वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने निरीक्षण के दौरान शुक्रवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-3 की प्रवर्तन टीम संग अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही को अंजाम दिया। वार्ड- दशाश्वमेध के अन्तर्गत पप्पू जायसवाल द्वारा लगभग लगभग 30% 45 वर्गफीट के माप में पुराने भवन को तोड़ फोड़ कर जी+2 तलों का नवनिर्माण कार्य किये जाने पर पक्ष को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27, 28 (1) एवं 28 (2) के अन्तर्गत दिनांक को क्रमशः कारण बताओं की नोटिस दी गई थी। इसके बावजूद पक्ष द्वारा उक्त अवैध निर्माण गतिमान रखने की शिकायत प्राप्त होने पर, जो धारा-27 का खुला उल्लंघन है। अतः उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28 (क) की उपधारा-1 के अन्तर्गत अवैध निर्माण को सील किया गया तथा संजय वाही द्वारा सिगरा पर बी+जी+2 का नक्शा पास कराया गया था पर जिसके विपरीत 4th फ्लोर का निर्माण कार्य कराए जाने पर निर्माण को सील किया गया तथा एफआईआर के लिए तहरीर दी गयी। मौके पर सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा के अलावा जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति अवर अभियंता अशोक कुमार त्यागी मौजूद रहे।

अवैध निर्माण सील करवाते वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

तरूणमित्र न्यूज–दि0 13.07.2024

सावन से पहले रोपवे कॉरिडोर के भीतर मौजूदा यूटिलिटीज को करें स्थानांतरित : जिलाधिकारी

डीएम ने रोप-वे निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर वीडीए को जमीन उपलब्ध कराने के दिये निर्देश

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने शुक्रवार को गिरजाघर चौराहे के पास रोप-वे के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यदाई संस्था, जल कल, वाराणसी विकास प्राधिकरण और पुलिस विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

उन्होंने यातायात व्यवस्था को सुचारू से संचालित कराने हेतु सीओ और संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने जलकल विभाग और बिजली विभाग को निर्देश दिया कि सावन शुरू होने से पहले रोपवे कॉरिडोर के भीतर मौजूदा यूटिलिटीज को स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि त्योहार के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने वीडीए को टावर टी 23 और टी 25 के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी कहा, ताकि रोपवे निर्माण कार्य बिना किसी देरी के पूरा किया जा सके। इस दौरान वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग, सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा, एसीपी दशास्वमेध प्रज्ञा पाठक मौजूद व अन्य विभागों के अफसर मौजूद रहे।

रोपवे निर्माण कार्य का जायज़ा लेते डीएम एस राजलिंगम। वीडीए वीसी पुलकित गर्ग, सचिव डा. वेद प्रकाश, एसीपी प्रज्ञा पाठक सहित अन्य रहे मौजूद